

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम:—मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल द्वारा तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के गौला राजि के गौला रोखड़ वन ब्लॉक में उक्त निर्माण कार्य से हम ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त क्षेत्र में गौजाजाली ग्राम सभा के अन्तर्गत क्रियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण किया जायेगा।


अधिशासी अभियन्ता
प्रयोक्ता, प्रखण्ड विभाग
प्रखण्ड नैनीताल


मनोज मठपाल
ग्राम प्रधानाध्यक्ष
गौजाजाली वार्ड नं 60,
नगर निगम, हल्द्वानी, काठगोटा

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:—मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम— गौजाजाली
तहसील— हल्द्वानी, जिला— नैनीताल।

आम सभा बैठक प्रमाण-पत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत लालकुँआ के गौजाजाली में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल द्वारा मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण कार्य हेतु (0.063 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.063 है० वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गौजाजाली द्वारा दिनांक 14-12-2021 को सम्पन्न आम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासीयों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरहैनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।


मनोज मठपाल

ग्राम प्रधान, पर्वद
गौजाजाली वार्ड नं 60,
नगर निगम, हल्द्वानी, काठगोदा

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

दिनांक 14-12-2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत :- गौजाजाली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	जवीन चन्द्र वानी	जवीन
	वसन्त शर्मा	B Bhatnagar
	राधु जोशी	राधु
	पिताम्बर जोशी	पिताम्बर
	अमरनाथ जोशी	अमरनाथ
	विजय शिंदे	विजय
	गोपाल देव	गोपाल देव
	विश्वान देव जोशी	B D Jesh


मनोज मठपाल
 ग्राम प्रशासक
 गौजाजाली वार्ड नं 60,
 नगर निगम, हल्द्वानी, काठगोदाम

प्रपत्र- 232

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य।

कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति।

उपखण्ड कालादुंगी परिक्षेत्र में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण कार्य हेतु (0.063 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.063 है0 वन भूमि) का अधिशारी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहशील-हल्द्वानी) की दिनांक 16-12-2021 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 16-12-2021 उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

- 1- श्री मनीष कुमार उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, अध्यक्ष।
- 2- श्री दीपक आर्या उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल, सदस्य।
- 3- श्री राहुल आर्या, सहायक सहायक जलपाठ अधिकारी
- 4- श्री

सहायक रामाज कल्याण अधिकारी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिला हल्द्वानी (नैनीताल) अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त कियाशाला एवं बाउण्ड्रीवाल हेतु 0.063 है0 वन भूमि अधिशारी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के गौजाजाली में एन0एच0ए0आई0 आवला चौकी मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि अधिशारी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सुरेश भारती

क्षेत्र पंचायत सदस्य

ग्राम पंचायत - खनवाल कटान

वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

दीपक आर्या

क्षेत्र पंचायत सदस्य

साखनमण्डी, चोरगलिया

वि० ख०- हल्द्वानी, जिला- नैनीताल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहशील- हल्द्वानी
नैनीताल।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहशील- हल्द्वानी
नैनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्रीमती कमला आर्या
क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत- 13- जयपुर पादरी
वि० ख० हल्द्वानी जिला- नैनीताल

43

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआ में तराई पूर्ण वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुरकान केन्द्र के बगल में एक वीधा जमीन पर क्रियाशाला सरकार स्थल का निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 विधानसभा क्षेत्र लालकुआ में तराई पूर्ण वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुरकान केन्द्र के बगल में एक वीधा जमीन पर क्रियाशाला सरकार स्थल का निर्माण कार्य हेतु 0.063 है० वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी

जिलाधिकारी
नैनीताल

क्षेत्र.....
तहसील.....

राजस्व विभाग
क्षेत्र.....
तहसील.....

तहसीलदार,
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति।

जनपद नैनीताल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य हेतु (0.063 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.063 है0 वन भूमि) का अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (तहसील-हल्द्वानी, जिला नैनीताल) की दिनांक 26-11-2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री धीरज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी, नैनीताल एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री धीरज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी-नैनीताल, अध्यक्ष।

2- श्री दिलीप रेवाड़ी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी, सदस्य

3- श्री दीपाक चिह्नात, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य

4- श्री श्रीमती कमला आर्या, क्षेत्र पंचायत सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त क्रियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य हेतु 0.063 है0 वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य हेतु 0.063 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल को राष्ट्रहित व जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी जनपद नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- हल्द्वानी, नैनीताल।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- हल्द्वानी, नैनीताल।

परियोजना का नाम:—गा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट गुरकान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य

Annexure-II

Form-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District collector of Nainital (U.K)

No...M.M.D......

Date...28-04-2022

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the processes of settlement of rights under the scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest right) act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes it is certified that 0.063 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल falls within jurisdiction of Haldwani tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.063 hectares forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the forest rights committee(s), Nagar Nigam (s), Sub-Division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure-23 to 23.3.
- The proposal for diversion (with full details of the projects and its implications in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Ward of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- The each concerned ward(s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have give their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificated issued by the Nagar Nigam(s) is enclosed as annexure-23 to 23.3.
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Ward present;
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Ward meeting have giving their consent to it;
- The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA;

Encl: As above

(Full name and office of the district collector)

45

नैनीताल

परियोजना का नाम:—मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य

Office of the deputy commissioner
District –Nanital (U.K)

Proceeding of the meeting of district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers recognition of right act (FRA),2006.

A meeting of the district level committee of Nanital district constituted under FRA, 2006 was held under Chairmanship of Mr Dheeraj Singh Garbyal, IAS Deputy commissioner Nanital on dated 28-04-2022 at time....(1.30 P.M. at Nanital in which application calming right in 0.063 hectares for मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौजाजाली में आवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के बगल में एक वीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल का निर्माण कार्य under FRA, 2006, of the following applicants duly processed and recommended by the Sub division level committee of ...^{Kalgaon} Sub-Division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the document and detailed discussion no objection/claims were found to have been made and hence district level committee recommended the above cases diversion of land for the said purpose.

Date.....28-04-2022

Place.....Nanital


Deputy Commissioner and Chairman
District level committee